न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 54 / 2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र झिण्डुराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. मूलाराम पुत्र झिण्डुराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 01/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि झिन्ड्रराम जी की मृत्यु के समय उसके वारिसान में उसकी पत्नि मामकोरी दावा में दर्ज गैरसायल सं. 5 एंव तीन पुत्र मुलाराम व हरीसिंह व धर्मपाल तथा दो पुत्रीयान परमेश्वरी व गुडडी है तथा एक पुत्री बिदामी देवी की मृत्यु हो चुकी थी जिसके वारिस इन्द्राज व पुत्र मंजु देवी दावा में दर्ज गैरसायलान सं. 6 व 7 है जो कि झिन्डुराम जी की मृत पुत्री के पुत्र व पुत्री होने के कारण हिन्दु उतराधिकार कानुन के अनुसार सायल व गैरसायल सं. 1 दावा में प्रतिकीदगण सं. 2 ता 5 के साथ प्रथम श्रेणी के वारिस है।. गैरसायल सं. 1 की आयु वर्तमान में 66 वर्ष है और सन् 1962 में उसकी आयु महज 4–5 वर्ष थी उस समय तक उसकी शिक्षा हेतु स्कल में भी दाखिल नहीं किया गया था और वह ऐसा कोई कार्य करने में समक्ष नही था। जिससे कोई आय प्राप्त कर सके अर्थात उसकी कोई आय नहीं थी समय वह अपने भाई बहनो में लाड़ला था।

वर्ष 1962 में सायल के पिता ने अपनी पारिवारिक पैतृक कृषि भूमि की आय सयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से अपनी पत्नि दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 5 की राय से खर्च करते थे और उन्होंने वर्ष 1962 में सयुक्त परिवार की कृषि भूमि की आय में आवश्यक खर्चा के बाद बचत करके जमा की गई राशि से अपनी पत्नि की राय के अनुसार दिनाक 18/03/1962 को तहसील नोहर के ग्राम टिडियासर की रोही में स्थित खसरा नम्बर 59 की 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 400 रूपये [illegible] उक्त कृषि भूमि के खातेदार से क्रय की और उसका बैयनामा अपने नाबालिग पुत्र [illegible] 1 के नाम से निष्पादित करवाकर पंजीकृत करवाया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5. यह कि उपरोक्त कृषि भूमि सायल के पिता ने अपनी पत्नि की राय से पूरे परिवार के लिए खरीद की थी केवल गैरसायल सं. 1 के लिए खरीद नहीं की थी उक्त सम्पत्ति को क्रय करने में सयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि की आय से बचत हुई राशि लगी थी उक्त भूमि झिन्दूराम जी की व उनके पुरे परिवार के सदस्यों के स्वामित्व की थी और उस सम्पति को क्रय किये जाने के पश्चात झिन्दूराम के जीन पुत्र व पुत्रीयों का जन्म हुआ उनका भी उक्त सम्पति में गैरसायल सं. 1 के बराबर हक व स्वामित्व था। उक्त कृषि भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि से प्राप्त आय से खरीद की गई भूमि होने के कारण व स्वंय झिन्छूराम जी द्वारा उक्त भूमि क्रय करके कब्जा प्राप्त करने का कारण झिन्डूराम जी के ही कब्जा काश्त में रही और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नि दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 5 तथा पुत्रो सायल व गैरसायल सं. 1 दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 तथा पोत्र दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 6 के सयुक्त कब्जा काश्त में रही तथा भारतीय उपराधिकार कानून के अनुसार दावा में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 3,4, व 7 भी झिन्दूराम जी के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण सायल गैरसायलान उक्त कृषि भूमि के उतराधिकारी है तथा उक्त कृषि भूमि में सायल व गैरसायल सं. 1 दावा मे दर्ज प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है तथा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 6 व 7 दोनो का सयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा है।

गैरसायल सं. 1 सायल के मध्य गत दिनों किन्ही अन्य कारणों से विवाद मतभेद होने के कारण गैरसायल सं. 1 उक्त कृषि भूमि को अकेले के नाम होने का कथन कर रहा है और वादी को उक्त कृषि भूमि में सायल के हक के अनुसार काश्त करने से रोक रहा है जबकि उक्त कृषि भूमि अकेले गैरसायल से. 1 की नहीं है इसलिए सायल निम्नलिखित आधारो पर यह घोषणा करवाने का अधिकारी है कि तहसील नोहर के ग्राम टिडियासर तहसल नोहर की रोही में खसरा नम्बर 59 की 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि अकेले गैरसायल सं. 1 की सम्पति नही है बल्कि उक्त भूमि में सायल व गैरसायल सं. 1 दावा में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा व दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 6 व 7 का सयुक्त रूप से हिस्सा है।

उक्त भूमि के विक्रय–पत्र के निष्पादन के समय गैरसायल सं. 1 की आयु 4 व 6 वर्ष थी उसकी कोई आय नही थी वह 4 व 5 वर्ष का नाबालिग बच्चा था तथा उसके पास आय प्राप्त करने का कोई साधन नही था और ना ही वह कोई कार्य करने के लिए सक्षम था इसलिए उसने वादग्रस्त कृषि भूमि क्रय करने में कोई प्रतिफल राशि अदा नहीं की बल्कि समस्त प्रतिफल राशि व वैयनामा पंजीयन का खर्चा सायल के पिता झिन्डूराम जी द्वारा पैतृक सम्पति से हुई आय की बचत में से अदा किया गया। सायल के पिता ने अपनी पत्नि की राय से अपने अवयस्क पुत्र के नाम सयुक्त परिवार के लिए कृषि भूमि खरीद की थी और झिन्डुराम जी ने उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करके काश्त करना प्रारम्भ किया था और वे उसे जीवन प्रयन्त काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु के पश्चात सायल व गैरसायल सं. 1 दावा में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 2,5 व 6 काश्त करते आ रहे है गत दिनों सायल से अन्य कारणो से विवाद होने से पूर्व कभी भी गैरसायल स. 1 ने उक्त भूमि अकेले खुद की होने का कथन नही [illegible] हमेशा ही स्वीकारता रहा है कि भूमि उसके नाम से है लेकिन उसमें [illegible] हक है। उपरोक्त कारणों से गैरसायल सं. 1 ने वादग्रस्त कृषि भूमि के वैयनामा की मुल दस्तावेज भी स्वंय के पास नही रखा वह कहता था कि मुल कागजात उसके पास होने की सूरत में वह अपने स्वंय के परिवार के दबाब में आकर या लालच वंश भूमि अकेले की होना क्लेम कर सकता है इसलिए बैयनामा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मूल पूति सायल की माता के पास रही जिन्होने उक्त विवाद होने के कारण सायल को सौपी है जो सायल प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रखा है।

वादग्रस्त कृषि भूमि के पडौसियों व रिश्तेदारों की नजर में वादग्रस्त भूमि के स्वामी झिन्द्रराम जी थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके सभी वारिसान है। (2) यह कि उपरोक्त सभी कारणो से सायल यह घोषणा करवाने का अधिकारी है कि तहसील नोहर के ग्राम टिडियासर की रोही में खसरा नम्बर 59 की 21 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि अकेले गैरसायल सं. 1 की सम्पति नहीं है बल्कि उक्त भमि में सायल एवं गैरसायल सं. 1 दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 ता 5 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा व दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 6 व 7 का सयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा है। गैरसायल सं. 1 के द्वारा पुश्तैनी कृषि भूमि की आय से क्रय की गई कृषि भूमि अपने नाम की होने का फायदा उठाकर अकेले स्वंय की होने का कथन करके सायल के कब्जा काश्त में अनुचित हस्तक्षेप किया जा रहा है उसका यह कृत्य पूर्णतया अनुचित विधि विरूद्ध व स्वेच्छाचारितापूर्ण है इसलिए सायल व गैरसायल सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि गैरसायलसं. 1 दरख्वास्त की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में सायल के सयुक्त कब्जा काश्त में हस्ताक्षेप करने से निषिद्ध है।

लिहाजा यह प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि तहसील नोहर के ग्राम टिडियासर तहसील नोहर की रोही में ख.न. 59 की 21 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि को गैरसायल सं. 1 वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय अथवा मुन्तकिल ना करे। तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। एवं सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा ना करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी उपस्थित नही अत अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि वर्ष 1962 में सायल के पिता ने अपनी पारिवारिक पैतृक कृषि भूमि की आय सयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से अपनी पत्नि दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 5 की राय से खर्च करते थे और उन्होंने वर्ष 1962 में [illegible] कृषि भूमि की आय में आवश्यक खर्चा के बाद बचत करके जमा की गई राशि से अपनी पत्नि की राय के अनुसार दिनाक 18/03/1962 को तहसील नोहर के ग्राम टिडियासर की रोही में स्थित खसरा नम्बर 59 की 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 400 रूपये प्रतिफल राशि अदा कर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कृषि भूमि के खातेदार से क्रय की और उसका बैयनामा अपने नाबालिग पुत्र गैरसायल सं. 1 के नाम से निष्पादित करवाकर पंजीकृत करवाया, उस वक्त गैरसायल स0 1 की उम्र महज 4 या 5 साल थी इसलिए उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक भूमि है प्रार्थी द्वारा उक्त कथन किया गया है लेकिन अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दसतवेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो की उस समय अप्रार्थी स0 1 नाबालिग था, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 18:00:50 IST
Reason: SelfAttested